न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/665

मिसल नम्बर– 98/2023

1.श्रीमती शान्ति देवी गोयल पत्नी स्व0 श्री घनश्याम दास जी गोयल, आयु 80 वर्ष जाति महाजन निवासी मकान नं0 13/1311 टीचर्स कॉलोनी गुमानपुरा कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.श्रीमती सन्तोष गोयल पत्नी स्व0 श्री नारायण दास गोयल
2.कमल गोयल पुत्र स्व0 श्री नारायण दास गोयल निवासीगण म0नं0 13/1311 टीचर्स कोलोनी गुमानपुरा कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 11/06/25

उपस्थिति:–

1.श्री शेलेष शर्मा प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री शिव शक्ति सिंह अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि परिववादिया 80 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा वरिष्ठ नागरिक है जो टीचर्स कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा की निवासनी है, तथा वर्तमान मे मकान नंबर 13/1315 वाके टीचर्स कॉलोनी गुमानपूरा कोटा स्थित मकान प्रार्थिया परिवादिया की मिल्कियत अचल सम्पत्ति है जिसकी प्रार्थिया/परिवादिया एक मात्र मालिक हैं। उपरोक्त वर्णित मकान के नीचे 04 दकाने भी निर्मित है जिसमे परिवादिया की पुत्र वधु अप्रार्थी न० 1 सन्तोष गोयल व पोत्र अप्रार्थी न० 2 कमल द्वारा प्रार्थिया को धोखा देते हये मौखिक रूप से किराये पर ली थी, तथा किराया 15,000/–रूपये मासिक तय किया गया था जो आज तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया को अदा नहीं किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रारथिया को माह अप्रेल 2021 तक किराया दिया, इससे पहले प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास हो गया तथा प्रार्थिया के स्वर्गवास पश्चात् अप्रार्थीगण ने किरायेदारी वाली दुकानो का किराया देना बन्द कर दिया इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने दिनांक 07.10.2022 को एक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित करवाया था. जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, प्रेषित नोटिस में प्रार्थया ने अप्रार्थीगण से किरायेदारी वाली दुकान का बकाया किराया 2,55,000/– रूपया का भुगतान करने को कहा गया, तथा नोटिस में प्रार्थिया ने जिस बैंक में खाता खुला हुआ है उस बैंक का नाम व खाता संख्या अंकित कर बकाया रकम खाता मे जमा कराने को कहा गया था, नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया किराया उक्त रकम न तो प्रार्थिया को अदा की और ना ही उक्त बैंक खाता जमा करवायी, इस पर प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण को किरायेदारी वाली दूकान खाली कर प्रार्थिया को कब्जा सम्भलाने की हने पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के छोटे पुत्र नवरतन के साथ मारपीट की तथा अप्रार्थीगण द्वारा जबरन प्रार्थिया के मकान मे स्थित दुकानों का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया हुआ है इन दुकानों के अन्दर अप्रार्थीगण द्वारा किराये के काउंटर व फ्रूट काउंटर का सामान रखा हुआ है, इन दुकानों के किराया राशि से प्रार्थिया की आजीविका चलती है भरण पोषण होता है अप्रार्थीगण के द्वारा किरायेदारों सभी दुकानों का किराया प्रार्थिया को अदा न करने के कारण प्रार्थिया के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। इसी प्रकार से प्रार्थिया के स्व. पति के स्वामित्व वाले मकान पर भी अप्रार्थीगण ने अवैध कब्जा किया हुआ है तथा प्रार्थिया के पति के स्वर्गवास बाद उत्तराधिकार व स्वामित्व वाले उक्त मकान के जिस परिसर में एक साथ निवास कर रहे थे उस परिसर से प्रार्थिया को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन लड़ाई झगड़ा कर धक्के मारकर निकाल दिया और उस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया। जिसका भी इन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। मकान के नीचे वाले परिसर में प्रार्थिया के पौत्र अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा फ्रूट की एजेन्सी का काम कर रहा है तथा उक्त फ्रूट की एजेन्सी प्रार्थिया के छोटे पुत्र व पुत्र वधू के नाम से भी हुई है तथा प्रार्थिया के छोटे पुत्र के द्वारा [illegible] के [illegible] में हलवाई का कारखाना डाला हुआ है तथा प्रार्थिया के छोटे पुत्र एवं बड़े पुत्र स्व. [illegible] की पत्नी अप्रार्थिया क्रम 1 सन्तोष [illegible] व अप्रार्थी क्रम 2 [illegible] [illegible] स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहे है तथा प्रार्थिया को कोई किराया [illegible] अदा नहीं करता है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थिया के मकान की दुकानों पर एवं प्रार्थिया के स्व. पति श्री [illegible] के मकान पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया हुआ है जिसे प्रार्थिया खाली करवाकर कब्जा प्राप्त करने एवं दुकानों का बकाया किराया राशि प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है। प्रार्थिया के अपनी पुत्र वधू जो अप्रार्थी क्रम 1 के साथ अपने ससुराल से प्राप्त सोना एवं पीहर से प्राप्त सोना व चांदी के जेवरात रखे हुये थे जो भी अप्रार्थियाक्रम 1 के द्वारा हड़प कर लिये गये है जिन्हे मांगने पर भी अप्रार्थिया क्रम 1 द्वारा नहीं लौटाया, बल्कि अप्रार्थिया नं 1 व उसका पुत्र प्रार्थिया का पौत्र अप्रार्थी नं 2 ने प्रार्थिया को काफी भला बुरा कहा और मारपीट करने पर आमादा हो गये, जब जब भी प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को मकान व दुकान खाली करने और बकाया किराया अदा करने एवं सोना वापस करने को कहा तब तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया से लड़ाई झगड़ा किया और मारने को आमादा हुये जबकि प्रार्थिया को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मकान व अपने स्व. पति के मकान को अप्रार्थीगण से खाली करवाये, दुकान का बकाया किराया प्राप्त करे और प्रार्थिया को ससुराल व पीहर पक्ष से मिले सोने चांदी के जेवरात प्राप्त करे जिसका प्रार्थिया को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थिया वरिष्ठ नागरिक व वृद्ध महिला है जिसके पास भरण पोषण आजीविका चलाने का एक मात्र आय का साधन दुकानों से प्राप्त किराया के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है लेकिन अप्रार्थीगणों के [illegible] बर्ताव व अत्याचार के कारण प्रार्थिया को काफी मानसिक व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है साथ ही प्रार्थिया का जीवन यापन करना दूभर हो गया है भूखा मरने की स्थिति आ गई है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थिया की कोई सुध नहीं लेते है हारी बीमारी में भी इलाज व देखभाल नहीं करते है बल्कि येनकेनप्रकारेण प्रार्थिया की तमाम चल अचल सम्पत्ति, सोने चांदी के जेवरात को हड़प कर जाना चाहते है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ लड़ाई झगड़ा कर व धक्के देकर अपने स्व. पति के मकान से बाहर निकाल दिया है, और दुकानों का किराया भी अदा नहीं किया जा रहा है जबकि मकान, व सोने चांदी के जेवरात प्रार्थिया की [illegible] सम्पत्ति है [illegible] के सोने चांदी के जेवरात भी अप्रार्थीगण द्वारा हड़प कर लिए है जिन पर प्रार्थिया का विधिक हक अधिकार है, जिनको प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रार्थिया को प्राप्त है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ [illegible] किया जा रहे दुर्व्यवहार,क्रूरता व [illegible] से प्रार्थिया को काफी मानसिक व शारीरिक क्षति हो रही है

उपखण्ड अधिकारी

जिनके लिये अप्रार्थीगण पूर्णतया जिम्मेदार है। यह कि प्रार्थिया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार किये जा रहे कृत्य से प्रार्थिया मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से तंग व परेशान है क्योंकि उपरोक्त मिल्कयती दकानो के किराया राशि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत प्रार्थिया के पास नहीं है । जबकि प्रार्थिया को अपने जीवनयापन के लिये खर्चे की अति आवश्यकता सदैव बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र/परिवाद पेश कर प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण से प्रार्थिया को निर्वाह भत्ता प्रार्थिया को दिलाया जावे, साथ ही उसके एवं उसके पति के मकान पर जो अप्रार्थीगण के द्वारा संवैधानिक रूप से कब्जा किया हुआ है उन तमाम अचल सम्पत्तियों वाले मकान पर कब्जा मालिकाना हक अधिकार प्रर्थिया को दिलाया जावे और अप्रार्थीगण को मकान व दुकानो से बेदखल किया जावे। तथा दुकानों का बकाया किराया भी प्रार्थिया को दिलाया जावे साथ ही यह भी आदेश अप्रार्थीगण को दिया जावे कि वो प्रार्थिया को जीवनयान के लिये मासिक भरण पोषण भी प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से अदा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 प्रार्थीया का म०नं० 13/1315 वाके टीचर्स कॉलोनी गुमानपुरा कोटा का प्राथीया की मिल्कियती में होना तथा प्रार्थीया का एकमात्र मालिक होना पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि उक्त मकान प्रार्थीया के पति व प्रतिपक्षी संख्या 1 के ससूर तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 के दादाजी श्री घनश्यामदास जी गोयल के द्वारा अपनी स्वर्जित आय से खरीद किया था। उक्त सम्पपति घनश्यामदास था। इस तरह से प्रार्थीया उक्त सम्पत्ति की वास्तविक स्वामी नहीं है बल्कि में घनश्याम दास उक्त सम्पत्ति के स्वामी हैं तथा इस चरण में यह भी मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त मकान की दकानों को मौखिक किरायेदारी पर लिया हो बल्कि घनश्यामदास जी ने स्वयं ने प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 को परिवार के सदस्य के रूप में व्यवसाय हेतु बिना किसी किराये के दिया था। इससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण उक्त परिसर में बतौर किरायेदार काबिज नहीं है उक्त दुकानो का प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी कोई किराया अदा किये जाने के लिये दायित्वाधीन नहीं थे, ना ही कभी कोई किराया अदा किया है। प्रार्थना पत्र का चरण रांख्या 2 पूर्णतया अरवीकार है जब प्रतिपक्षीगण उक्त दुकानो में कभी भी बतौर किरायेदार काविज नहीं है इसलिये कभी भी किराया देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक नोटिस दिये जाने का प्रश्न है पूर्णतः अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण को किसी भी प्रकार का विधिक नोटिस दिये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि उक्त सम्पत्ति के एकमात्र वास्तविक स्वामी स्व0 घनश्यामदास जी गोयल है जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त मकान जो प्रार्थीया के नाम से खरीद किया था तथा (स्वयं के नाम से) मकान दे दिया था तथा उसी क्रम में प्रतिपक्षीगण उक्त दुकानों पर काबिज है तथा उक्त संपूर्ण मकान प्रार्थीया के नाम से खरीद किया था प्रतिपक्षीगण के हिस्से में आया है। प्रतिपक्षीगण ने उक्त परिसिर का कभी भी कोई किराया नहीं दिया और ना ही प्रार्थीया अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त परिसर का किराया लिया गया है इसलिये पूर्णतया मिथ्या अंकित है कि प्रार्थीया का आजीविका उक्त किराये से चलती हो बल्कि प्रार्थीया अपने पूत्र नवरतन के पास निवास करती है तथा नवरतन के द्वारा घनश्याम दास जी गोयल के व्यवसायिक प्रतिष्ठान अग्रवाल मिष्ठान भण्डार को सवयं संचालित करते हैं तथा प्रारथीया के द्वारा अपने पुत्र नवरतन के पुत्र प्रेम एवं प्रभाव में तथा प्रतिपक्षीगण को बंटवारे में प्राप्त सम्पत्ति से वंचित करने के आशय से मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तृत किया है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 पूर्णतया अस्वीकार है। प्रतिपक्षीगण द्वारा कहींपर भी जबरन कब्जा नहीं किया गया है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बल्कि में प्रतिपक्षीगण द्वारा घनश्याम जी गोयल के जीवनकाल से ही प्रतिपक्षी संख्या 1 विवाह के पुश्चात उक्त वैवाहिक मकान में निवास कर रही थी और उक्त मकान में परिवार के सदस्य होने के नाते निवास कर रहे हैं तथा दुकानों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, बंटवारे के दौरान प्राथ्थीया के नाम से घनश्यामदास जी गोयल द्वारा खरीद किया गया मकान प्रतिपक्षीगण को प्राप्त हुआ था। आपसी सहमति से दुकानों के उपर का प्रथम तल पर प्रार्थीया एवं नवरतन मय परिवार निवासरत है। बंटवारे में नवरतन को प्राप्त मकान के प्रथम तल से प्रतिपक्षीगण आपरी राहगति रो निवारारत है। इस चरण में यह भी मिथ्या अंकित है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को घर से निकाल दिया हो में प्रार्थीया के द्वारा अपने एकमात्र पुत्र मोह गें घनश्याग जी गोयल के स्वर्गवास के बाद से ही नवरतन जी के साथ निवास कर रही है तथा नवरतन जी ही घनश्याम जी गोयल के अग्रवाल मिष्ठान भण्डार के व्यवसाय को सांचालित करते हैं तथा उसकी आय को प्राप्त करते हैं जबकि प्रतिपक्षी संख्या 2 अपने पिता के स्वर्जित व्यवसाय नारायण स्वीटस को संचालित करते हैं तथा फरवरी 2021 में प्रार्थीया के परिवार का बंटवारा हुआ था बंटवारे के अनुसार एक्ट अपोन करके 90 लाख रूपये बीकाजी के तथा 10 लाख रूपये मार्केट के चुका दिया। उस समय प्रार्थीया के खाते में 5,21,000/–रूपये की राशि थी तथा प्रार्थीया स्वयं के वारा अपने पुत्र नवरतन के साथ रहने चयन किया था इस तरह से प्रतिपक्षीगण पूर्णतया वैध रूप से उक्त परिसर पर काबिज है तथा इस आशय का एक पारिवारिक बंटवारे का एक वाद प्राथीया द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तूत कर रखा हैं। प्रार्थीया के संपूर्ण जेवरात व आभूषण प्रार्थीया के स्वयं के पावर व पजेशन में है। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी कोई जेवरात व आभूषण प्रार्थीया से प्राप्त नहीं किये तो लौटाने व मांग करने का प्रार्थीया का कथन पूर्णतया मिथ्या व मनगढन्त है। उक्त सम्पत्ति घनश्याम जी की स्वर्जित सम्पत्ति होने से तथा उसका बंटवारे में जो प्रतिपक्षीगण को प्राप्त होने से तथा प्रतिपक्षीगण परिवार के सदस्य होने से प्रार्थीया किराया प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है तथा प्रतिपक्षीगण की हैसियत उक्त परिसर में कभी भी किरायेदार की नहीं रही है । उक्त मिथ्या आरोप प्रार्थीया द्वारा अपने पुत्र नवरतन एवं पुत्री पुष्पा से मिलीभगत करके प्रतिपक्षीगण को उक्त सम्पत्ति से वंचित करने के आशय से मिथ्या रूप से अंकित किये क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 1 विधवा है। प्रार्थीया, प्रतिपक्षी संख्या 1 की सास व प्रतिपक्षी संख्या 2 की दादी है इसलिये प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया सो रनेह रखते हैं तथा अपने साथ रखना चाहते है किन्तु प्रार्थीया ने रवयं अपने पुत्र व पुत्रवधू तथा पोता–पोती के बहकावे में आकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया ताकि प्रतिपक्षीगण दबाव में आकर घनश्याम दारस जी गोयल की राग्पत्ति में रो अपना हिरसा छोड़कर चले जाये जबकि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया के प्रति अपने समरत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये तैयार व तत्पर है तथा प्रार्थीया को अपने साथ रखने, ईलाज कराने, देखभाल करने के लिये तैयार व तत्पर है तथा प्रार्थीया परिवार की एकमात्र बुजुर्ग होने से प्रतिपक्षीगण के लिये सम्माननीय है तथा प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया के साथ मारपीट व गाली गलौच करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया के साथ कोई शारीरिक व मानसिक परेशान नहीं किया है तथा प्रार्थीया ने स्वयं घनश्याम दास जी गोयल की मृत्यु के उपरांत पुत्र नवरतन के साथ निवास कर रही है क्योंकि घनश्याम दास जी गोयल के व्यवसाय को स्वयं संचालित कर संपूर्ण आय स्वयं नवरतन प्राप्त कर रहा है जबकि प्रतिपक्षीगण अपने पति नारायणदास के द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं किन्तु प्रार्थीया के द्वारा अवैधनिक रूप से अपने पुत्र नवरतन को पक्षकार नहीं बनाकर भरण पोषण की राशि की मांग नहीं करके अपनी दूरभि संधि प्रमाणित कर दी इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज होने

उपखण्ड अधिकारी
को.

योग्य है। प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में पारिवारिक बंटवारे का वाद माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष विचाराधीन है तथा किराये के संबंध में विवादो को निस्तारण करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार किराया अधिकरण कोटा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश कि गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा दुकान 15000/– रूपये मासिक दर किराये पर ली गई थी। लेकिन किराया देना बन्द कर दिया गया है। वहीं प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि कब्जे व किराये की बकाया की रिकवरी का अनुतोष किराया अधिकरण कोटा से ही प्राप्त किया जा सकता है, इस न्यायालय को इस बाबत् क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया का कथन रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा सोना, चांदी, जेवरात हड़प किए गए है तथा मांगने पर लड़ाई झगड़ा किया तथा मारने पर आमादा हो गए। वही अप्रार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा कभी भी प्रार्थीया को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण का कथन यह भी है कि घनश्याम दास जी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया द्वारा स्वयं अपने दुसरे पुत्र नवरतन के साथ रहना स्वीकार किया था। क्योकि घनश्याम दास के व्यवसाय को नवरतन ही संचालित कर रहा है। अप्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि उक्त सम्पतियों के संबंध में पारिवारीक बंटवारे का वाद माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष विचाराधीन है तथा माननीय सवौच्य न्यायालय द्वारा 27.03.2025 को समतोला देवी बनाम स्टेट ऑ उ0प्र0 में निर्धारित किया है कि बंटवारे का दावा विचाराधीन हो तो बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थीया के कथनों में विराधाभास है। प्रार्थीया दुकानों से किराया प्राप्त करना स्वीकार कर रही है यदि एक दुकान का किराया 15000/– है तो शेष तीन दुकानों से कम से कम 45000/– महीना किराया प्रार्थीया को प्राप्त होता है। उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रार्थीया द्वारा इस बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, बकाया किराये की वसूली की अधिकारीता इस न्यायालय में नीहित ना होने , प्रार्थीया के पास आय का स्त्रोत होने तथा सम्पति विभाजन का वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में जैरकार होने से हम प्रार्थीया का यह आवेदन अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी